संख्या ए.बी.-14017/8/2010 - स्थापना (आर.आर.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- गैर-सचिवालय संगठनों में आशुलिपिक ग्रेड-।। पद के लिए मॉडल भर्ती नियम ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी. 14017/53/2005-स्थापना (आर.आर.) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके साथ आशुलिपिकों के संवर्ग की मॉडल भर्ती नियमावली की प्रतियां अग्रसारित की गई हैं । संशोधन पूर्व 5500-9000 रूपए और 5000-8000 रूपए वाले वेतनमान में क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड-। और ग्रेड-।। के पदों को 4200 रूपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-2 में रखा गया है । इस विभाग इत्यादि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, वेतनमानों के संशोधन के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयो की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधन पूर्व 4000-6000 रूपए वाले वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-।।। के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमावली की समीक्षा की गई है और आशुलिपिक ग्रेड-।।। का पदनाम आशुलिपिक ग्रेड-।। के रूप में होगा । तद्नुसार ऐसे गैर-सचिवालय संगठनों, जो सीएसएसएस/आरबीएसएसएस/आईएफएस/एएफएचक्यूएसएसएस या किसी अन्य संगठित मुख्यालय सेवा का हिस्सा नहीं है, के संबंध में लागू मॉडल भर्ती नियमावली इस कार्यालय ज्ञापन में अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है ।

2. मंत्रालय/विभाग मॉडल भर्ती नियमावली के अनुरूप मौजूदा नियमों की समीक्षा और संशोधित नियमों को अधिसूचित करें । इन्हें अपनाए जाने हेतु सभी स्वायत्त/सांविधिक निकायों में भी अग्रसारित कर दिया जाए । गृह मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि ये मॉडल भर्ती नियम संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिए जाएं ।

3. आशुलिपिक संवर्ग के अन्य पदों के लिए मॉडल भर्ती नियमों को अलग से परिचालित किया जाएगा ।

(जे.ए.वैद्यनाथन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष सं. : 23092112

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि :

1. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
2. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय।
4. स्थापना अधिकारी और सचिव, एसीसी (10 प्रतियां)।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग।
6. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. विभागीय परिषद (जे.सी.एम.) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
9. स्थापना (आर.आर. प्रभाग) (20 प्रतियां)।
10. एन.आई.सी., नार्थ ब्लॉक को वेबसाइट में डालने के लिए।

जे.ए. वैद्यनाथन

(जे.ए.वैद्यनाथन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष सं. : 23092112

1	2	3	4	5	6	7
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद या अचयन पद	सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा दिया जाएगा	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
आशुलिपिक ग्रेड - II	* (बनाने का वर्ष) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सीधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	पी.बी.-I. 5200-20200 रूपए ग्रेड वेतन 2400 रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसार श्रेणी ।

8	9	10	11	12	13	14
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों के मामले भी लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन ।	वे परिस्थितियां जिनमें, भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना होता है ।
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) कौशल परीक्षा प्रतिमानक श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट	लागू नहीं ।	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती टिप्पणी : पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए चले जाने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे	लागू नहीं ।	स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति 1. 2. 3.	लागू नहीं है ।

लिप्यंकन : 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी)			कर्मचारियों, जो सदृश पद धारण किए हुए हो या नियमित आधार पर हों तथा उनके पास स्तम्भ 8 पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अर्हताएं हों, द्वारा भरा जाए ।			